न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57/2017

अपीलार्थी— *बनाम* **उत्तरदाता—**

मुबारक खां पुत्र साजन खां जाति मोयला निवासी टूकिया सिणधरी जिला बाड़मेर

नायब तहसीलदार सिणधरी

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.08.2017 जो प्रकरण सं. 03/2017 मे रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :—

1. श्री रामजीवन बिश्नोई, श्री मनोज जाणी, अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30/12/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण सं. 03/2017 सरकार बनाम मुबारक खां मे पारित निर्णय दिनांक 18.08.17 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का गोलिया जीवराज द्वारा नायब तहसीलदार सिणधरी के समक्ष एक रिपोर्ट दिनांक 07.07.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टूकिया के खसरा नम्बर 1 रकबा 70—14 किस्म गैर मुमकीन नदी सरकारी भूमि मे से 10—00 बीघा भूमि पर गैर सायल मुबारक खां वल्द साजन खां कौम मोयला सा0 टूकिया द्वारा बाजरा की काश्त कर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है तथा विशेष विवरण में यह भी उल्लेख किया कि गैर सायल ने संवत 2073 में भी अतिक्रमण किया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कर गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिये अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 18.08.2017 के द्वारा 110/- रूपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये गैर सायल को तीन माह का सिविल कारावास भुगतने का अपीलाधीन दण्डादेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 25.09.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय पैरोकार की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अपीलांट के पिता साजन खां पुत्र अकबर खां एवं दीने खां पुत्र साजन खां को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम टूकिया के खसरा नम्बर 1 में 30-30 बीघा भूमि आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था लेकिन नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त गलती से अन्य जगह पर कर दी। अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के समक्ष राजस्व आवेदन पत्र सं. 140/99 अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। इस आवेदन पत्र पर न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आवेदन स्वीकार किया तथा खसरा नम्बर 1 में 30-30 बीघा भूमि की सही तरमीम करने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दौरान सुनवाई यह प्रकट किया कि उसका कब्जा खसरा नम्बर 1 पर नहीं होकर खसरा नम्बर 9 पर है तथा जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया। अपीलांट ने यह भी प्रकट किया था कि उसका कब्जा एवं रहवासीय ढाणी खसरा नम्बर 1 की रकबा 70-14 बीघा के जोड़ा-जोड़ खातेदारी भूमि में अवस्थित हैं। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2017 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया किन्तु नियत दिनांक को बरसात एवं नदी आ जाने से अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कथनों को अनदेखा करते हुए बिना मौका कब्जा की रिपोर्ट लिये ही अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पारित करने में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई हैं। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय पैरोकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम टूकिया के खसरा नम्बर 1 किस्म गैर मुमकीन नदी सरकारी भूमि मे से 10–00 बीघा भूमि पर बाजरा की काश्त कर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट के निवेदन पर ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था किन्तु अपीलांट निर्धारित सुनवाई तिथी को जानबूझकर अनुपस्थित रहा है। इसके उपरांत भी गैर सायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय द्वारा तरमीम दुरूस्ती के आदेश की पालना नहीं होने का जो कथन किया हैं उसके संदर्भ में इस न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी सिणधरी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.10.2018 के द्वारा अवगत कराया हैं कि खसरा नम्बर 9 में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं और न ही खसरा नम्बर 9 में आवंटन हुआ हैं बल्कि खसरा नम्बर 9 निजी खातेदारान की भूमि हैं। अपीलांट्स को खसरा नम्बर 1 गैर मुमकीन नदी में भूमि आवंटित हुई हैं, जिसके सबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय की अनुपालना में पुनः नदी दर्ज करने हेतु रेफरेंस किया जा चुका हैं, ऐसे में उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा पारित तरमीम दुरूस्ती आदेश की पालना संभव नहीं हैं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी सिणधरी की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स का खसरा नम्बर 9 में कब्जा न होकर खसरा नम्बर 1 में आवंटित स्थान से अन्य स्थान पर गैर मुमकीन नदी की भूमि पर अतिक्रण किया गया है, जिसके लिये अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा समग्र जांच एवं समुचित सुनवाई उपरांत विधिसम्मत रूप से अपीलाधीन निर्णय किया गया हैं, जिसमे किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही हैं, लिहाजा अपीलांट की यह अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावें।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम टूकिया के खसरा नम्बर 1 की गै.मु. नदी के पड़ौस मे अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा–काश्त होना प्रकट किया है, तथा यह भी प्रकट किया हैं कि उसका कब्जा खसरा नम्बर 1 में न होकर खसरा नम्बर 9 में हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त कथन लिखित में दिया गया था

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसके बावजूद भी मौका कब्जा की रिपोर्ट लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के इस कथन की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी सिणधरी से मौका कब्जा की रिपोर्ट ली गई, जो रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 भिजवाते हुए अवगत कराया हैं कि अपीलांट्स का कब्जा खसरा नम्बर 9 में नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 1 गैर मुमकीन नदी की भूमि में से उन्हे आवंटित स्थान से अन्य स्थान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया हैं कि खसरा नम्बर 9 निजी खातेदारान वीरा व अन्य की खातेदारी भूमि हैं। इसके अलावा खसरा नम्बर 1 गैर मुमकीन नदी की भूमि में अपीलांट्स को हुए आवंटन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय की पालना में आवंटन खारिज कर पुनः गैर मुमकीन नदी दर्ज करने हेतु रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन हैं। इस प्रकार अपीलांट्स के इस तथ्य का निर्धारण उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट से हो गया हैं कि अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 9 में न होकर खसरा नम्बर 1 में उन्हे आवंटित स्थान से अन्य जगह पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया हैं। ऐसे में इस सम्पूर्ण अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के रकबे की तरमीम गलत होने की आड़ लेकर गैर मुमकीन नदी की अन्य भूमि पर किये गये कब्जे को सही ठहराने का प्रयास किया गया हैं। इसके उपरांत भी जहां तक मौका कब्जा की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब नहीं किये जाने एवं जांच नहीं किये जाने का प्रश्न हैं तो वह इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिणधरी से तलब की गई है, जिसमे सम्पूर्ण वस्तुस्थिति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने जुर्माने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
बाड़मेर

18.08.2017 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर नायब तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:47:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: